

(93)



<-- 151/

माननीय न्यायालय बोर्ड आफ रेक्टेन्यु ग्वालियर म0 प्र0

प्रकरण क्रमांक

/2005 अपील स्टाम्प

- A 1202-1/2005
- 1- श्रीमति सीताबाई पत्नि मयारामजी पुत्री मानाजी आयु 48 वर्ष जाति चमार निवासी ग्राम हामुखेडी तह0 व जिला उज्जैन
- 2- मयारामजी आत्मज भेराजी आयु 46 वर्ष जाति चमार निवासी ग्राम हामुखेडी तह0 व जिला उज्जैन
-- अपीलान्टस : केता :


विरुद्ध

- 1- अम्बाराम आत्मज मानाजी आयु 43 वर्ष जाति चमार व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम हामुखेडी तह. व जिला उज्जैन म. प्र. -- विकेता
- 2- कन्हैलालाल आत्मज मानाजी आयु 46 वर्ष जाति चमार व्यवसाय कृषि निवासी सी.4/4 स्ल.आयजी. ऋषि नगर कालोनी उज्जैन म. प्र. --- सहमतीदाता
- 3- श्रीमान उप पंजीयक महोदय, भरतपुरी प्रशासनीक क्लैब देवास रोड उज्जैन म0 प्र0
- 4- श्रीमान स्टाम्प कलेक्टर महोदय भरतपुरी प्रशासनीक क्लैब देवास रोड उज्जैन म0 प्र0
- 5- श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सम्भांग उज्जैन
-- रेस्पा0

अधिन अधिन घारा 74-क की उपधारा(4)या(5) भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधिन बनाराजी आदेश अधिनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त महोदय सम्भांग उज्जैन के पारित आदेश दिनांक 20.6.2005 सम्बंधीत प्रकरण क्रमांक 394/2004-05 से दस्तित व असंतुष्ट होकर माननीय महोदय,

अपीलान्टस की और से अपील निम्न लिखित सादर सविनय प्रस्तुत है :-

- 1- (क) अपीलार्थी का पूरा नाम पिता का नाम पति का नाम



RP-162
प्रमाणिक
रजिस्टर्ड पोस्ट घारा आय
दिनांक 3-8-05 को प्राप्ति

लाल कॉर्ट कोर्ट
उज्जैन अड्डे हाफ्र. न्यायालय



५८

१००

न्यायालय राजस्व मण्डल, म० प्र०, गवालियर

अनुष्टुति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- अपील/1202/एक/2005

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रकारी एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30-8-19	<p>आवेदक व आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। प्रकरण का अवलोकन किया गया। आदेश पंजिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 05/09/2011 से लगातार अनुपस्थित है। जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रुचि नहीं है। अतः यह प्रकरण आवेदक की अरुचि में इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;">(महेश चन्द्र चौधरी)</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	